26/8/2022 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण/अभियोजन
एवं अन्य वकील श्री अजीत चौधरी अ/ P.O.
सुनवाई हेतु बाद चलाने पत्रावली 26/8/22
को नियत हो।

उपखण्ड अधिकारी
अंराई
(अजमेर)

26/8/22

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित।
P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश
पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार.....
दिनांक 2/9/2022 को पेश हो।

Notpress me.

C/No. 75/2022 रामरिख v/s बालु

02/09/2022 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र वास्ते प्रकरण को आगे नहीं चलवाने बाबत एवं Not Pursues किये जाने बाबत पेश किया जो अभिलग्नित। वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी व अप्रार्थियों के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है वे अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा प्रार्थना पत्र को नोट प्रेस में खारिज करवाने का निवेदन। हमारे द्वारा वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी वकील व प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र में और आगे नहीं चलाना चाहते हैं उनके सहमति से उनके हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी अंकित करवाये गये। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 75/2022 उनवान रामरिख v/s बालु की चार पर Not Pursue से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुदा होकर नम्बर में जावे।

रामरिख
फरियादी
Ramrikh
2/9/22

2/9/22
उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)